

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा

क्रमांक : 347/स्था./2023

दिनांक : 14-12-23


:: आदेश ::

अध्यक्ष, पदोन्नति समिति, द्वारा अनुशंसा किये जाने पर निम्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों/तामील कुनिन्दाओं को राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक संस्थापन नियम 1986 समय समय पर यथा संशोधित नियम के तहत लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर पदोन्नति हेतु पात्रता रखने के कारण इनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से पूर्णतः अस्थाई तौर पर लिपिक ग्रेड द्वितीय के पद पर राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 में पे मेट्रिक्स लेवल-5 में पदोन्नत किया जाता है :-

क्रम संख्या	कार्मिक का नाम व पद	पदोन्नती होने की दिनांक	विशेष विवरण
1	मुकेश देवतवाल, प्रोसेस सर्वर (3 संतान)	01.04.2021	-
2	मदनलाल भील, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
3	गोकुल मीणा, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
4	सुरेश चमार, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
5	रईस खान, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
6	सुनील मेहता, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
7	गोपाल सिंह सोलंकी, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
8	राजेश पंवार, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
9	शिवजीराम चौधरी, प्रोसेस सर्वर	01.04.2021	-
10	तेजकुमार टेलर, च.श्रे.कर्म. (3 संतान)	01.04.2021	-
11	चौथमल प्रजापत, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
12	कैलाश चौधरी, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
13	राधाकृष्ण शर्मा, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
14	शुभम शर्मा, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
15	मनोज वैष्णव, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
16	लालचंद रेगर, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
17	हेमंत राजपुरोहित, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
18	दीपक यादव, च.श्रे.कर्म.	01.04.2021	-
19	छोटसिंह राणावत, च.श्रे.कर्म.	25.08.2023	-

नोट :-

- उक्त पदोन्नति आदेश का इन्द्राज कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे एवं नियमानुसार वेतन नियतन की कार्यवाही की जावे।
- उपरोक्त सूची के क्रम संख्या 1 व 10 पर उल्लेखित कर्मचारी के 2 से अधिक संतान होने से राजस्थान सरकार कार्मिक (क-ग्रुप 2) विभाग के अधिसूचना संख्या एफ. 7 (1) कार्मिक/क-2/95/पार्ट दिनांक 16.03.2023 के अनुसार उनकी वास्तविक वेतन वृद्धियां 3 वर्ष पश्चात् से अनुज्ञेय होगी।
- उपरोक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थाई तौर पर की जा रही है, कर्मचारियों का कार्य, व्यवहार व आचरण संतोषजनक नहीं पाये जाने अथवा पदों में किसी प्रकार की कमी होने अथवा किसी पूर्व कर्मचारी की पुनः नियुक्ति होने पर, कर्मचारी के किसी भी दस्तावेज में कोई कमी पाई जाने पर इन्हें बिना किसी नोटिस के इनके पूर्व पद पर पदावनत किया जा सकेगा।
- उक्त पदोन्नतियां माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में लंबित सभी रिट याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधधीन रहेगी तथा राज्य सरकार व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों/आदेशों के अधीन अन्यथा पाए जाने पर, उक्त आदेश में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।
- उक्त कर्मचारीगण के पदस्थापन आदेश पृथक से प्रसारित किये जाएंगे।
- उपरोक्त कर्मचारी अपने मौजूदा पदस्थापन/कार्यव्यवस्थार्थ पदस्थापन कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी/तामील कुनिन्दा के पद का कार्य नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण की नियमित नियुक्ति होने तक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे।


14-12-23

07. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में पदोन्नति आदेश के संबंध में लंबित समस्त रिट याचिकाओं के निर्णयाधीन उक्त आदेश में परिवर्तन के फलस्वरूप यदि कोई कर्मचारी उपरोक्त आदेशानुसार पदावनत होता है तो उसके द्वारा आहरित की गई अधिक राशि नियमानुसार वसूलनीय होगी।
08. यदि उपरोक्त कर्मचारीगण चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. प्राप्त करने के कारण पहले से ही स्वीकृत किये गये नवीन पद के वेतनमान से उच्च वेतनमान प्राप्त कर रहे हैं, तो उनका पातेय वेतन कम नहीं किया जावेगा।

— *Sd* —
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा

क्रमांक: स्था/2023/..... 7159

दिनांक : 14/12/23

- प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-
- 1- संबंधित न्यायालय आदेश की प्रति संबंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत पत्रावली में संलग्न कर उक्त आदेश का इन्द्राज कर्मचारी की सेवापुस्तिका में करे एवं एक प्रति अपने अधीनस्थ सम्बंधित कर्मचारी को अपने स्तर पर दिलवाया जाना सुनिश्चित करे।
 - 2- सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय भीलवाड़ा को जिला न्यायालय भीलवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
 - 3- स्थापनानुभाग, जिला न्यायालय, भीलवाड़ा

A. K.
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
भीलवाड़ा 14-12-23